न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 41/2019

पवन कुमार पुत्र बृजलाल जाति नायक निवासी 5 एफ एफ बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट

बनाम

1. पूर्ण सिंह
2. चन्द्रसिंह

पि0 रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी 5 एफ एफ बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

3. राजस्थान सरकार।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 19.03.2019

उपस्थिति–

श्री सतपाल बिश्नोई अभिभाषक अपीलांट

श्री जगमोहन आहूजा अभिभाषक रेस्पों. सं. 1, 2

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक– 22/7/19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण पूर्णसिंह व चन्द्रसिंह ने उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष एक प्रा.पत्र अन्तर्गत जनरल कॉलोनी कंडीशन्स सं. 8 सहपठित धारा 251क आर.टी.एक्ट के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण अपने भाईयों के साथ चक 5 एफएफ बी खाता सं. 113 के मु.नं. 35 में 12.10 बीघा भूमि कि.नं. 1 ता 15 तक खातेदारी धारण करते है तथा इसी चक में प्रार्थीगण के ताउ के पुत्रगण मु.नं. 34 में खाता सं. 48 में 25.00 बीघा नहरी भूमि धारण करता है।

हमारे मुरब्बाजात के उत्तर की तरफ एक मुरब्बा छोड कर पक्की सडक गांव से बार्डर तक जाती है। इस पक्की सडक से प्रार्थीगण व उसका परिवार बहुत वर्षों से मु.नं. 28 के कि.नं. 5, 6, 16, 15, 25 में आवागमन कर रहे है और यह रास्ता काफी लम्बे समय से चालू है। अतः निवेदन है कि चक 5

एफएफ बी के मु.नं. 35 व 34 के उपयोग के लिये इसी चक के मु.नं. 28 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 में से 2 बिस्वा रास्ता स्वीकार किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

(A) अप्राथी सं. 2 रणजीत सिंह ने प्रा.पत्र का जबाब पेश कर प्रारम्भिक आपत्ति सहित अतिरिक्त आपत्ति करते हुए प्रार्थीगण का प्रा.पत्र खारिज फरमाया जाकर खर्चा जबाब देही दिलाया जावे।

(B) उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 19.03.2019 से चक 5 एफएफ बी के मु. नं. 28 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 में से 2–2 बिस्वा चौडा रास्ता कुल 10 बिस्वा स्वीकृत कर तथा रास्ते में आई भूमि के बदले में प्रार्थीगण अप्राथीगण खातेदारान को डीएलसी की दुगुनी दर से नकद मुआवजा का भुगताने करने के आदेश दिये। आदेश में यह भी अंकित किया है कि मुताबिक रिकार्ड कि.नं.25 गैर खातेदारी दर्ज है। अतः कि.नं. 25 के खातेदार कोई मुआवजा देय नहीं है। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर खातेदारान को मुआवजा राशि का भुगतान करे।

(C) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है। अपील के साथ अपीलांट धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र मय शपथपत्र पेश किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(a) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विरूद्ध होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट क पिता बृजलाल है जिनके नाम से चक 5 एफएफ बी के मु. नं. 28 के कि.नं. 13 से 20 में 2.024है0 भूमि संयुक्त खाता में है। बृजलाल का देहान्त हो चुका है। इसलिए बृजलाल के विधिक प्रतिनिधि इस प्रा.पत्र में आवश्यक पक्षकार थे परन्तु इनको बिना सुने इनके कि.नं. 15 व 16 में रास्ता स्वीकृत कर दिया है जो विधि विरूद्ध है जब तक

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर (राज.)

इनको सुनवाई का मौका नही दिया जाता तब तक वह अपना पक्ष कैसे प्रस्तुत कर सकते है।

अपीलांट व इनके सहकाश्तकारान करीब 8 व्यक्तियों के नाम मात्र यही 10 बीघा भूमि है जिसमें रास्ता स्वीकृत हो जाएगा तो अपीलांट के साथ बे इन्साफी होगी। अपील के साथ अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रा पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अपीलांट इस आदेश से व्यथीत एवं हितबद्ध पक्षकार है। अतः निवेदन है कि अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

(b) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने लिखित बहस पेश कर उसमें वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलाधीन आदेश की पालना में दिनांक 27.03.2019 को मुआवजार राशि भी जमा हो चुकी है तथा इंतकाल भी दिनांक 08.04.2019 को किया जा चुका है जबकि अपीलांट ने मौजूदा अपील दिनांक 10.04.2019 को पेश की। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गई है तथा झूठा शपथ पत्र पेश कर स्थगन आदेश जारी करवाया गया है। अपीलांट पवन कुमार ने अपनी अपील में केवल हम रेस्पों. को ही पक्षकार बनाया है जबकि अधी. न्यायालय के निर्णय में दर्ज अप्रार्थी सं. 1 ता 11 को पक्षकार ही नहीं बनाया। अतः आवश्यक पक्षकार के अभाव में अपील खारिज करने योग्य है। विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी लिखित बहस में यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के खिलाफ काशीराम ने अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र आ09नि0 7 व 9 नियम 13 सीपीसी पेश किया जो कि दिनांक 22.04.2019 को खारिज किया जा चुका है तथा इस आदेश के खिलाफ भी आज तक कोई अपील पेश नहीं हुई। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

3. हमने अपील मीमों, लिखित बहस तथा अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.036.2019 का अवलोकन किया।

(1)अपीलांट का कथन है कि उसके पिता के नाम जमाबन्दी में मु.नं. 28 के कि.नं. 15 व 16 की भूमि है। उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। वह उसका विधिक उत्तराधिकारी है। अधी. न्यायालय में प्रार्थी ने ना तो उसके पिता को, ना ही उसे पक्षकार बनाया व अधी. न्यायालय द्वारा न ही सूना गया तथा उनके हक के मु.नं. 28 के कि.नं. 15 व 16 में से भी 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का आदेश किया है जो धारा 251ए आर.टी.एक्ट का आज्ञापक आवश्यकता है उसकी अवहेलना है। अतःउनको धारा 96 सीसीसी के तहत अपील करने की स्वीकृति व उनकी locus standai होने के कारण स्वीकार योग्य है।

(2) लिखित बहस में रेस्पों. द्वारा कथन किया गया कि अधी. न्यायालय द्वारा स्वीकृत रास्ता पुराना व प्रचलित है व मु.नं. 28 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 के आवागमन में बाधा पैदा की जा रही है। साथ ही कहा कि उन्हें सुखाचार प्राप्त है। यदि यह तथ्य सही है तो यह मामला धारा 251 का है ना कि 251ए आर.टी.एक्ट का और सभी पक्षों को सुनकर अधी. न्यायालय द्वारा रास्ते का आदेश जारी करना था। अधी.न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया।

(3) निर्णय में प्रार्थी का चाहा गया रास्ता धारा 251ए आर.टी.एक्ट के तहत मू. अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णित किया गया है, जो केवल प्रार्थी की सुविधा का हवाला दे रही है व अन्य वैकल्पिक रास्ते व अत्यांतिक आवश्यकता बिन्दु पर मौन है।

(4)भू अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट में प्रार्थी के चाहे अनुसार सबसे नजदीक (मु.नं. 28 के उत्तर में गुजरने वाली पक्की सडक से जोडने हेतु) सुविधा का तथ्य अंकित किया है व सुखाधिकार को आधार बनाया है।

(5) अधि. न्यायालय को धारा 251ए आर.टी.एक्ट के तहत रास्ते का निर्णय करते समय इस सम्बन्ध में विहित नियम 69 की पालना करते हुए पूर्व में " अत्यान्तिक आवश्यकता" के प्रश्न का विनिश्चय करना चाहिए, ना कि सुविधा का, जैसाकि निर्णय से स्पष्ट है।

(6) प्रार्थी/रेस्पों. एकतरफ तो सुखाचार के आधार पर दावा करते है, दूसरी तरफ आत्यान्तिक आवश्यकता के आधार पर धारा 251ए के तहत रास्ता चाहते हैं। यह विरोधाभाषी तर्क है, क्योंकि सुखाचार (Prescriprion) के आधार पर रास्ते की मांग सिविल प्रकृति का मामला है जो लम्बे समय से अबाधित आवागमन पर आधारित है।

(7) ऐसे रास्तों हेतु धारा 251 आर.टी.एक्ट में पंचायत व तहसीलदार को अधिकार है वशर्ते चालू रास्ता बाधित किया गया हो। धारा 251ए आर.टी.एक्ट आत्यान्तिक आवश्यकता का

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तथ्य साबित करने पर नये रास्ते का प्रावधान करता है। अतः अधी.न्यायालय को इस तथ्य पर गौर कर अपना निर्णय आधारित करना चाहिए था।

उपरोक्त कारणों से निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार करते हुए व अधी. न्यायालय का आदेश दिनांक 19.03.2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी.न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनकर नियम 69 की पालना में मौके पर स्वयं या तहसीलदार के द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति में नजरी नक्शा बनाकर अत्यांतिक आवश्यकता के प्रश्न का निर्धारण कर नया रास्ता कायम करने का आदेश नये सिरे से दो माह में पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 22/7/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर